AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना बसई अरेला जनपद आगरा।   16.06.2022

थाना बसई अरेला द्वारा रोडवेज बस में कंडक्टर द्वारा किराया मांगे जाने पर बस का शीशा तोडने वाले 02 अभियुक्तो का धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत किया गया चालान...

आज दिनांक 16.06.2022 को समय करीब 11:00 बजे रोडवेज बस नं0 UP 77 AN 2194 वाह से दिल्ली जा रही थी। स्याहीपुरा चौराहे पर बस में कुछ छात्र सवार हुए। बस के कंडक्टर द्वारा करीब 100-200 मीटर आगे जाकर किराया मांगने पर नहीं दिया गया। कहासुनी करते हुए बस रुकवा कर सभी छात्र उतर गए, उसी दौरान उन्हीं छात्रों में से किसी एक के द्वारा ईट चला दी गई जिससे बस का पिछला शीशा टूट गया। उक्त संबंध में थाना बसई अरेला पर मु0अ0सं0 29/22 धारा 427/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त दो नामजद अभियुक्तो 01. गुड्डू उर्फ अमित पुत्र रामजीलाल 02. अनिल पुत्र सिरनेत नि0गण स्याहीपुरा थाना बसई अरेला जनपद आगरा की गिरफ्तारी कर अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी चालान किया गया। थाना बसई अरेला पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना में अज्ञात अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है।

✓ **अभियुक्त का विवरण:-**

01. गुड्डू उर्फ अमित पुत्र रामजीलाल निवासी स्याहीपुरा थाना बसई अरेला जनपद आगरा।
02. अनिल पुत्र सिरनेत निवासी स्याहीपुरा थाना बसई अरेला जनपद आगरा।

✓ **पुलिस टीम का विवरण:-**

01. थानाध्यक्ष श्री विवेक कुमार थाना बसई अरेला मय टीम थाना बसई अरेला जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।